भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों का विविधीकरण

4. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा परम्परागत गर्मी और सर्दी की फसल रोपण के स्थान पर फसलों के विविधीकरण को देखने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं; और

(ख) सरकार द्वारा किसानों में समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण कृषि, फसल की कटाई, पैकिंग और बिक्री के बारे में जागरूकता फैसाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डडब्ल्यू) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत चावल, गेंहू, दलहन, मोटे अनाजों, पोषक अनाजों, वाणिज्यिक फसलों एवं तिलहन जैसी फसलों के विविधीकृत उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। बागवानी फसलों को समेकित बागवानी मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) नामक योजना का कार्यान्वयन मूल हरित क्रांति वाले राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है ताकि धान के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों में विविधीकृत किया जा सके और तम्बाकू उत्पादक राज्यों में तम्बाकू की खेती से वैकल्पिक फसलों/फसलन प्रणाली की ओर परिवर्तित किया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 25 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में एआईसीआरपी-एकीकृत फसल प्रणाली (एआईसीआरपी-आईएफएस) के तहत 34 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 6 आईसीएआर संस्थानों और 1 केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सहभागिता से फसलन प्रणालियों पर किसान प्रतिभागी अनुसंधान के माध्यम से गहन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के वैधकरण कर कार्य किया गया है। इस योजना के तहत 21 राज्यों के 32 जिलों के ऑन फार्म अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से किसान प्रशिक्षण व फसल विविधीकरण का भी कार्य किया गया है। पिछले 2 दशकों के दौरान देश के विभिन्न कृषि-जलवायुवीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 37 केन्द्रों के अनुसंधान फार्मों में एआईसीआरपी-आईएफएस के संरक्षण में अध्ययन किए गए जो ये दर्शाते है कि आश्वासित सिचांई परिस्थितियों में दलहन, सब्जियों, तिलहन और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों सहित अपार सम्भावनाए हैं।

किसान के खेतों में प्रदर्शनों, किसान फील्ड स्कूल, प्रशिक्षण, किसान मेलों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम के जरिए उपयुक्त फसलों/फसलन प्रणाली को चुनने के लिए किसानों को उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों, फसल कटाई, विपणन आदि के बारे में शिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, एमकिसान पोर्टल पर लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से पंजीकृत किसानों को फसल संबंधित परामर्शिकाएं भेजी जाती हैं । एसएमएस के माध्यम से किसानों को मौसम, मंडी, विभिन्न कृषि कार्यों, कीट एवं रोगों के आक्रमण की घटनाओं और उनके नियंत्रण के उपायों से संबंधित सूचना भी दी जाती है।

इसके अलावा डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने ब्याज छूट और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोंपरांत प्रबंधन सुविधा और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यावहारिक परियोजनों में निवेश के माध्यम से खेत में अवसंरचना के निर्माण हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि अवसंरचना कोष (एआईएएफ) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है।

*****